न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 31/2020 **दायर तारीख :–** 02-06-2020

1. ममता देवी पत्नि श्री हरिप्रसाद जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

— वादिया

बनाम

1. सूरजमल पुत्र श्री खेमचंद जाति गुर्जर निवासी टाण्डा खातोलाई तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज, बंटवारा आराजी व लगान एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

उपस्थित : श्री मदन लाल जाट, अधिवक्ता वादिया
एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 1
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : –08.10.2020

1. वादिया ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम टाण्ड़ा के आराजी खसरा नंबर 891 रकबा 0.18, 892 रकबा 0.1223 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3023 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी में वादिया का हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/2 के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2074–2077 है। यह है कि आराजी मुतनाजा की खातेदारी में वादिया के नाम के आगे पत्नि शब्द की जगह पुत्र शब्द तथा प्रतिवादी संख्या 1 सूरजमल पुत्र खेमचंद की जाति गुर्जर सा. टाण्डा खातोलाई तहसील विराटनगर की जगह जाति जाट सा. शाहपुरा राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से दर्ज हो गया है, इस कारण आराजी की खातेदारी के राजस्व रिकॉर्ड में वादिया के नाम के आगे पुत्र की जगह पत्नि एवं प्रतिवादी संख्या 1 सूरजमल की जाति जाट सा. रामपुरा शाहपुरा की जगह जाति गुर्जर सा. टाण्डा खातोलाई तहसील विराटनगर की दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है। यह है कि आराजी का आपसी सहमति से वादिया व उसके पूर्व सह खातेदार ने प्रतिवादी संख्या 1 से बाहमी बंटवारा कर लिया है। उक्त बाहमी बंटवारा में वादिया के हिस्से में दक्षिण की तरफ की 0.1511 हैक्टेयर भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में उत्तरी तरफ की 0.1512 हैक्टेयर भूमि आई हुई है और उपरोक्त बाहमी बंटवारे के अनुसार ही वादिया दक्षिण दिशा की 0.1511 हैक्टेयर भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 1, उत्तर की तरफ की 0.1512 हैक्टेयर भूमि पर काबिज रहकर काश्त एवं उपयोग–उपभोग करते आ रहे है। यह है कि वादिया ने बाहमी बंटवारे में आयी भूमि में पुख्ता निर्माण कर रखा है। यह है कि प्रतिवादी, वादिया को उसके बाहमी बंटवारा में आयी भूमि व उसमें निर्मित

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

निर्माण से जबरन बेदखल करने एवं आराजी के विशिष्ट भू–भाग का बेचान किसी दीगर व्यक्ति को करने व आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन कराने की एलानियां धमकियां देते है, यदि प्रतिवादी संख्या 1 अपने मनसूबों में सफल हो गया तो वादिया का अकथनीय हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धनराशि के रूप में नहीं की जा सकेगी। प्रकरण में वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 बाहमी बंटवारे के अनुसार अपने–अपने खातेदारी हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। आराजी मुतानाजा का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ हैं। जिससे शामिल खाते में काश्त करना संभव नहीं रहा है। अतः निवेदन है कि वाके ग्राम टाण्ड़ा के आराजी खसरा नंबर 891 रकबा 0.18, 892 रकबा 0.1283 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3023 हैक्टेयर का बाहमी बंटवारे के अनुसार वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य बंटवारा किया जावें अन्यथा मौके के कब्जे के अनुसार नियमानुसार बंटवारा किया जावे, राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादिया के बंटवारे में आयी भूमि के उपयोग–उपभोग में कोई बाधा कारित नहीं करें। तथा उक्त आराजी की खातेदारी में वादिया ममता देवी के नाम के आगे पुत्र शब्द की जगह पत्नि शब्द की तथा प्रतिवादी संख्या 1 सुरजमल की जाति जाट साकिन रामपुरा शाहपुरा की जगह जाति गुर्जर साकिन टाण्डा खातोलाई विराटनगर की दुरूस्ती की जावें।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। प्रतिवादीगण की तल्वी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 सम्यक् तामिल अनुपस्थित रहे, इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।
3. वादिया ने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी ग्राम टाण्डा खाता संख्या 99 संवत् 2074–2077, नकल जमाबन्दी ग्राम खातोलाई खाता संख्या 220 संवत् 2070–2073, फोटो प्रति विक्रय पत्र आदि पेश किये।
4. तारीख पेशी 08.09.2020 को अधिवक्ता वादिया की बहस सुनी गई। प्रकरण कानूनी बंटवारा से संबंधित होने के कारण प्रकरण प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार प्रस्तुत करने की तहरीर जारी की गई।
5. तहसीलदार विराटनगर का बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।
6. विद्वान अधिवक्ता वादिया एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।
7. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम टाण्ड़ा के आराजी खसरा नंबर 891 रकबा 0.18, 892 रकबा 0.1223 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3023 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी में वादिया का हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/2 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। यह है कि उक्त आराजी के खातेदारी में वादिया के नाम में पत्नि की जगह पुत्र शब्द अंकित किया हुआ है, जबकि वादिया के नाम में रजिस्ट्री क्रय पत्र में ममता देवी पत्नि हरिप्रसाद बल्लिवाल है एवं नामान्तकरण संख्या 795 दिनांक 06.03.2018 के द्वारा खोले गए नामान्तकरण में भी ममता देवी पत्नि हरिप्रसाद बल्लिवाल अर्थात पत्नि शब्द अंकित किया हुआ है, जबकि जमाबंदी संवत् 2074–2077 में वादिया का नाम ममता देवी पुत्र हरिप्रसाद

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

जाति जाट अंकित किया हुआ है, जो कि दुरूस्ती करने योग्य है। प्रकरण प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के राजस्व मण्डल निमय 18 से 21 के अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव पेश करने हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार विराटनगर द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव पेश किया गया है। पक्षकारान को बंटवारा प्रस्ताव पढकर समझाया गया जिस पर उपस्थित पक्षकारान ने सहमति पेश की, तथा पक्षकारान मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव बंटवारा किये जाने पर सहमत है। अतः दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार डिक्री किया जाना एवं वादिया का नाम ममता देवी पत्नि हरिप्रसाद किया जाना न्यायसंगत है।

8. वादिया ने अपने वादपत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः वादिया का वादपत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

वादिया का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	सुरजमल पुत्र खेमचंद जाति गुर्जर	891/1/0.0900 892/1/0.0612 हैक्टेयर
2	ममता देवी पत्नि हरिप्रसाद जाति जाट	891/0.0900 892/0.0611 हैक्टेयर

वादिया के नाम ममता देवी पुत्र हरिप्रसाद में पुत्र शब्द की जगह पत्नि शब्द अंकित करते हुए वादिया का नाम ममता देवी पत्नि हरिप्रसाद किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 08.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

(राजवीर सिंह यादव, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

डिकी मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)
अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर
बइजलास :– राजवीर सिंह यादव, आर.ए.एस.

1. ममता देवी पत्नि श्री हरिप्रसाद जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

— वादिया

बनाम

1. सूरजमल पुत्र श्री खेमचंद जाति गुर्जर निवासी टाण्डा खातोलाई तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0

— प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बर/नजरसानी संख्या 31/2020 **दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज, बंटवारा आराजी व लगान एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री मदन लाल जाट, अधिवक्ता वादिया** व हाजरी ....मिन जानिब मुद्दई रूबरू **पैराकार सरकार** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि वाके ग्राम टाण्डा के आराजी खसरा नंबर 891 रकबा 0.18, 892 रकबा 0.1283 कुल किता 2 कुल रकबा 0.3023 हैक्टेयर का बाहमी बंटवारे के अनुसार वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य बंटवारा किया जावें अन्यथा मौके के कब्जे के अनुसार नियमानुसार बंटवारा किया जावे, राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादिया के बंटवारे में आयी भूमि के उपयोग–उपभोग में कोई बाधा कारित नहीं करें। तथा उक्त आराजी की खातेदारी में वादिया ममता देवी के नाम के आगे पुत्र शब्द की जगह पत्नि शब्द की तथा प्रतिवादी संख्या 1 सुरजमल की जाति जाट साकिन रामपुरा शाहपुरा की जगह जाति गुर्जर साकिन टाण्डा खातोलाई विराटनगर की दुरूस्ती की जावें।

सुना गया। वादिया का वाद बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है। प्रकरण कानूनी बंटवारा से संबंधित होने पर तहसीलदार विराटनगर से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा डिक्री किए जाने पर पक्षकारान सहमत है।

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादिया का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिकी किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	सुरजमल पुत्र खेमचंद जाति गुर्जर	891/1/0.0900 892/1/0.0612 हैक्टेयर
2	ममता देवी पत्नि हरिप्रसाद जाति जाट	891/0.0900 892/0.0611 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

वादिया के नाम ममता देवी पुत्र हरिप्रसाद में पुत्र शब्द की जगह पत्नि शब्द अंकित करते हुए वादिया का नाम ममता देवी पत्नि हरिप्रसाद किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 08.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

मुबलिक ....शून्य........................... बाबत ....शून्य...................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ....शून्य................. की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक ....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 08.10.2020** को जारी की गई।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस दर्ज करना चाहिए।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)